समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–647/आ0प्र0 दिनांक–19.09.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्य शीर्ष –2401– फसल कृषि कर्म –उपमुख्य शीर्ष –00– लघुशीर्ष –109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण – मांग संख्या –01– उपशीर्ष –0103 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना विपत्र कोड– P2401001090103 राज्य योजना स्कीम कोड AGR– 56 83, विषय शीर्ष –3301– सब्सिडी मद में मधेपुरा जिला को डीजल अनुदान हेतु **सामान्य जाति** के लाभुकों के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज को मो0–34,03,144/– रूपये एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा को मो0–17,95,160/– रूपये आवंटन उपलब्ध कराया गया। जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा ने अपने पत्रांक–1895 दिनांक–31.12.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा मो0–2,40,220/– रूपये एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा द्वारा मो0–3,00,000/– रूपये खरीफ फसल हेतु सामान्य वर्ग के लाभुकों के लिए डीजल अनुदान मद में अतिरिक्त आवंटन की मांग की गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया ने अपने पत्रांक–108–2 दिनांक–18.01.2016 द्वारा उक्त मद में मो0–7,22,824/– रूपये प्रत्यार्पित किया है। अतः प्रत्यार्पित प्रतिवेदन एवं जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त अधियाचना के आलोक में प्रत्यार्पित राशि को निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत निम्न प्रखंड विकास पदाधिकारी को निम्न विवरणी के अनुरूप उपावंटित किया जाता है :–

क0 सं0	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	प्र0 वि0 पदाधिकारी, मुरलीगंज	34,03,144/-	2,40,220/-	36,43,364/-
2	प्र0 वि0 पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	17,95,160/-	3,00,000/-	20,95,160/-
कुल योग :–		51,98,304/-	5,40,220/-	57,38,524/-

कुल–(पाँच लाख चालीस हजार दो सौ बीस) रू0

उपावंटन की शर्तें :–

1. उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय पत्रांक–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–5294 दिनांक–17.06.2015 में निहित निदेश के आलोक में दी जा रही है।
2. यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्य शीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म –उपमुख्य शीर्ष –00– लघुशीर्ष –109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण –मांग संख्या–01– उपशीर्ष –0103 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना –विपत्र कोड– P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड AGR– 56 83, विषय शीर्ष –3301– सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. उक्त आवंटन की स्वीकृत्यादेश संख्या–3698, दिनांक–06.08.2015 में निहित शर्तों/ निदेशों के आलोक में ही, निकासी एवं व्यय किया जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेबारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. पूर्व से डीजल अनुदान के लिए उक्त परिस्थिति में स्वीकृत 25 रू0 प्रति लीटर डीजल पर अनुदान बढ़ाकर 30 रूपये प्रति लिटर डीजल अनुदान देय है। इस प्रकार डीजल अनुदान की राशि 250 रू0 प्रति एकड़ प्रति सिंचाई से बढ़कर 300 रू0 प्रति एकड़/सिंचाई हो जाएगी। तदनुसार पूर्व में धान तथा मक्का के लिए सिंचाई हेतु डीजल अनुदान को बढ़ाकर 5 सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देय है। धान तथा मक्का की रोपनी/बुआई एवं अन्य खरीफ फसल को बचाने के लिए 5 सिंचाई के लिए अधिकत्तम 1500 रूपये की दर से अनुदान का भुगतान किया जा सकता है। खरीफ मौसम की अवधि में उगाये जाने वाले किसी अन्य फसल यथा सब्जी आदि की सिंचाई की आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा स्वीकृत राशि की सीमा में सिंचाई हेतु डीजल अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।
5. व्यय के तुरंत बाद टी0भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाए। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए अन्यथा ऑकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेदारी आवंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

7. उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

8. उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully vouched bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. उपावंटित राशि का निकासी इस कार्यालय के पत्रांक–599 दिनांक–08.09.2015 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में विपत्र के साथ किसानों की सूची देय राशि, खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड के साथ एडभाईस संलग्न कर कोषागार में प्रस्तुत करेंगे, ताकि सूचीबद्ध किसानों को अंकित राशि उनके खाते में सीधे हस्तान्तरित हो सके।

10. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक–15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

अनुलग्नक–1. कृषि विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृतादेश संख्या–3698, दिनांक–06.08.2015

ह0/–
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक : 58 आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक : 22.01.16

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज एवं ग्वालपाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।